

दिनांक आज्ञा पत्र

30.9.14

पत्रावली पेशा प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामीत शेष है।
इत हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। तस्कि
अपील का री-निश्चीन निस्तारण किया जा सका
पत्रावली वास्तु तलबी रिकार्ड दिनांक...12.12.14 को
पेश हो।

Seeha

13.12.14

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...धु-पुलध कार्य
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...25.2.22
को पेश हो।

25.2.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...20.02.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...28.6.22
को पेश हो।

28.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...28.12.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...28.8.22
को पेश हो।

30.8.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...20.02.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...6.12.22
को पेश हो।

6.12.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...20.02.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...12.12.22
को पेश हो।

7.12.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...20.02.22
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...9.1.22
को पेश हो।

09.01.22

पत्रावली पेशा वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामीत से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्वया आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर
में कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

